W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 3871 / 2011 / बाडमेर

1– भोपाराम पुत्र कलाराम
2– जगरूपाराम पुत्र कलाराम
3– आंबाराम पुत्र कलाराम
4– राणाराम पुत्र कलाराम
5– श्रीमति बाली बेवा कलाराम
समस्त जाति मेघवाल निवासी माडपुरा सानी तहसील व़ जिला बाडमेर।

.....**अपीलार्थीगण**

बनाम

1– किशनाराम पुत्र गुणेशाराम
2– खमाणाराम पुत्र गुणेशाराम
3– हीराराम पुत्र गुणेशाराम
4– उगमाराम पुत्र गुणेशाराम
5– रतनाराम पुत्र कलाराम
6– पूनाराम पुत्र कलाराम
समस्त जाति मेघवाल निवासी माडपुरा सानी तहसील व़ जिला बाडमेर।
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर।

..... **प्रत्यर्थीगण**

खण्ड–पीठ
श्री मदनमोहन शर्मा , सदस्य
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री अजीत सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री दूनीचन्द डिढारिया व श्री अजयपाल डिढारिया, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1 व 4 की ओर से।
प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 5 व 6 बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 11–05–2012

1– यह द्वितीय अपील न्यायालय, भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाडमेर–जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 48 / 2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–05–2011 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/प्रत्यर्थी संख्या—1 किशनाराम ने अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखंड अधिकारी बाडमेर (विचारण न्यायालय) के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा माडपुरा सानी की खसरा नम्बर 158 व 259 रकबा क्रमशः 74.00 व 12.06 कुल 86.06 बीघा तथा मौजा राउफजी की ढाणी के खसरा सं. 174 व 175 रकबा क्रमशः 0.04, व 121.00 कुल किता 2 कुल रकबा 121.04 बीघा में से 1/8 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। परीक्षण न्यायालय के समक्ष इसी वादग्रस्त आराजी के संबन्ध में एक वाद संख्या 144/08 गुमानाराम वगैरह ने प्रस्तुत किया जिसे अपीलाधीन आदेश की पत्रावली संख्या 214/06 के साथ समायोजित किया गया, क्योंकि दोनों प्रकरणों में पक्षकार व वाद की विषय वस्तु समान थी। दोनों दावों की एक साथ सुनवाई की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा वादी /प्रत्यर्थी संख्या—1 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर दिनांक 02—02—2009 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी और दिनांक 27—07—2010 को विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी कर दी गयी। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 02—02—2009 व दिनांक 27—07—2010 के विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12—05—2011 द्वारा उक्त प्रथम अपील को निरस्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 12—05—2011 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत की गई है किः—

(1) प्राथमिक डिक्री में वादी/प्रत्यर्थी संख्या—1 का 1/8 हिस्सा निर्धारित किया गया था किन्तु अन्तिम डिक्री जारी करते समय उसका 1/2 हिस्सा निर्धारित कर दिया गया।
(2) विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा मौके पर जा कर नहीं बनाये गये अपितु भू—अभिलेख निरीक्षक कवास द्वारा तैयार कराये गये जो कि नियम 18 से 21 के विपरीत है।
(3) वादग्रस्त आराजी में से 21 बीघा 6 बिस्वा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23—05—2008 जारी की गई थी। अवाप्तसुदा भूमि मे से 15 बीघा 6 बिस्वा भूमि श्री गुणेशाराम के वारिसान के व 6 बीघा भूमि कलाराम के हिस्से में रखी गयी जबकि भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर पारिवारिक सदस्यों के अनुपातिक हिस्सों के अनुसार अवाप्तशुदा आराजी विभाजित करनी चाहिये थी, क्योंकि आवप्ति के बाद प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी।
(4) अपीलीय न्यायालय द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के बारे में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होना मानते हुये अपील निरस्त कर दी। यदि अपील संधारण योग्य नहीं थी तो विचारण न्यायालय द्वारा अवाप्तशुदा आराजीयात व अन्य आराजीयात का एक साथ बंटवारा कर दिया गया निर्णय भी निरस्तनीय था। किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय

द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

उपरोक्त आधारों पर हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार की जावे, और प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–05–2011 को तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02–02–2009 के प्रभाव व निर्णय व डिक्री दिनांक 27–07–2010 को निरस्त किया जावे।

3– प्रत्यर्थीगण द्वारा एक प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 14–09–2011 प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मे से भूभाग को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार द्वारा अवाप्त किया जा चुका है, अतः हस्तगत अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अवाप्त भूमि के मुआवजे के चैक अपीलार्थीगण द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं, अतः अब वह अपने कृत्य से एस्टोप्ड होने से हस्तगत अपील लाने के लिये सक्षम नहीं हैं। अपील निरस्त की जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष दो वाद विचाराधीन थे। अन्य वाद संख्या 144/08 को इस वाद के साथ संयोजित किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा संयोजित वाद संख्या 144/08 को भी निर्णीत किया था किन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, अतः केवल एक वाद में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4– उभय पक्ष की बहस प्रारम्भिक आपत्ति एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रथामिक डिक्री व अन्तिम डिक्री में अन्तर है। प्राथमिक डिक्री में वादी का 1/8 हिस्सा निर्धारित किया गया था, जबकि अन्तिम डिक्री में 1/2 हिस्सा दे दिया गया, जो गलत है। भूमि अवाप्त किये जाने की अधिसूचना जारी करने से पूर्व वाद प्रस्तुत किया जा चुका था, जिसे सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित था। ऐसी स्थिति में अवाप्तशुदा आराजीयात सभी पक्षकारान के पारिवारिक हिस्सों के अनुसार अनुपातिक रूप से विभाजित कर बराबर कीमत/मुआवजा राशि प्रदान करनी चाहिये थी अर्थात उसी अनुसार अवाप्तशुदा भूमि का बंटवारा करना चाहिये था तथा शेष आराजीयात का राजस्व मंडल के काश्तकारी नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस अभिलेख तथा मौके पर भूमि की किस्म, मूल्य तथा लगान अनुसार हिस्सों के अनुपात में विभाजन करना चाहिये था। विवादित आराजी का विभाजन करने के आदेश विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाडमेर को दिये गये थे किन्तु उन्होने मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये अपितु भू–अभिलेख निरीक्षक

कवास से प्रस्ताव तैयार करा कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के 18 से 21 के प्रावधानों की पालना नहीं होने के कारण मात्र से ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय थी किन्तु अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करने के बजाय सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का न होना मानते हुये अपील खारिज करने में भारी अनियमितता की है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष में ILR 1961 1173, 1986 RRD 676, 2007 (1) RRT 3 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे।

6— अपील का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री में कोई त्रुटि नहीं है, अपितु वह प्राथमिक डिक्री के ही अनुरुप है। विद्वान अभिभाषक का यह भी अभिकथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत विभाजन के बाद प्रत्यर्थी के हक में आयी भूमि में से कुछ भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई है, जिसका मुआवजा प्रत्यर्थी को ही मिलना था। भूमि आवप्ति की कार्यवाही परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के पश्चात की गई है और भूमि आवाप्त होने के पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी (बाडमेर–जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय का न होना मानकर नियमानुसार निरस्त की है, क्योंकि भूमि आवप्ति अधिनियम के तहत यदि किसी भूमि को राज्य सरकार के हित में अवाप्त किया जाता है तो विवादित आराजी से संबंधित चुनौती माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में दी जा सकती है या अपील की जा सकती है। विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2000 RBJ 48, 134, 137, 221, 273, 314, 340, 376, & 497 प्रस्तुत करते हुये यह भी तर्क किया गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिनमें ऐसी किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती जिससे द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप कर निरस्त किया जा सके। अतः द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

7— उभय बहस की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न निर्णयों एवं दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया।

8— प्रथम अपीलय न्यायालय द्वारा अपील को इसलिये श्रवण योग्य नहीं माना गया है कि वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि को राज्य

सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहित कर लिया है, जिससे प्रकरण को सुनने का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। उन्होने अपने निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 व भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 54 को आधार बनाया है और न्यायिक दृष्टान्त 2008 (1) RRT 174 से समर्थन हासिल किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 निम्न प्रकार हैः–

> ***"9. Courts to try all civil suits unless barred.-*** *The Courts shall (subject to provisions herein contained) have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred.*
> *Explanation I. - A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of acivil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies.*
> *Explanation II. - For the purposes of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in Explanation I or whether or not such office is attached to a particular place."*

इस प्रकार धारा 9 सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार न्यायालय प्रत्येक उस वाद को सुनने के लिये सक्षम है जो कि अभिव्यक्त अथवा विवक्षित रुप से उसके क्षेत्राधिकार से वर्जित नहीं किया गया हो।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 54 निम्न प्रकार हैः–

> ***"54. Appeal in proceedings before the Court.-*** *Subject to the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) applicable of appeals from oroginal decrees and notwithstanding anything to the contrary in any enactment for time being in force,* ***an appeal shall only lie in any proceedings under this Act*** *to the High Court from the award, or from any part of the award, of the Court and from any decree of the High Court passed on such appeal as aforesaid an appeal shall lie to the Supreme Court subject to the provisions contained in Section 110 of the Code of Civil Procedure, 1908, and in order XLV thereof."*

इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 सपठित भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 54 के प्रावधानों का प्रभाव यह है कि 1894 के उक्त अधिनियम के तहत भूमि अवाप्ति हेतु की गयी कार्यवाही के विरुद्ध अपील या याचिका केवल उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण का वाद 1894 के अधिनियम के अन्तर्गत की गयी भूमि अवाप्ति की कार्यवाही, निर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति राशि अथवा जारी किये गये अवार्ड आदि के विरुद्ध नहीं है अपितु वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हिस्सा घोषित कराने एवं विभाजन कराने हेतु अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम, 1955 की धारा 207 सपठित तृतीय अनुसूची अनुसार ऐसा वाद, जब तक कि किसी विशेष

विधि द्वारा वर्जित नहीं किया गया हो, राजस्व न्यायालय में ही विचारणीय है। चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 सपठित भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 54 के प्रावधान वर्तमान वाद को वर्जित नहीं करते हैं और चूंकि यह वाद अधिग्रहण की कार्यवाही आरम्भ होने से पहले से ही विचारधीन था, अतः हमारे मत अनुसार इस बिन्दु पर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष विधि की गलत व्याख्या का परिणाम है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील संख्या 48/2010 राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय थी और उसका निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिये था।

9— प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जिस न्यायिक दृष्टान्त 2008 (1) RRT 174 से समर्थन हासिल किया है, उसमें अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु अधिसूचना दिनांक 02—06—2006 को जारी की गयी थी और वादी द्वारा भूमि अवाप्ति करने वाले निकाय (रीको) को पक्षकार बनाते हुये संशोधित दावा दिनांक 21—08—2006 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त संशोधित वाद को पोषणीय नहीं माना गया। इस प्रकार उदधृत न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न है। वर्तमान प्रकरण में वादीगण का दावा दिनांक 28—09—2006 को प्रस्तुत हो चुका था जो कि वास्ते अधिकार घोषणा व विभाजन था। विचारण न्यायालय में वाद लम्बित रहने के दौरान ही वादग्रस्त भूमि मे से कुछ भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्त करने हेतु धारा 4 (1) भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की अधिसूचना दिनांक 23—05—2008 को जारी की गयी। ऐसे प्रकरण पर मण्डल द्वारा पारित निर्णय 1986 RRD 676 में प्रतिपादित न्याय सिद्धान्त से सहमत होते हुये हमारा यह मत है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत की गयी अवाप्ति की कार्यवाही व अपनायी गयी प्रक्रिया, निर्धारित किये गये मुआवजे, जारी किये गये अवार्ड आदि के विरुद्ध राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित हो सकता है किन्तु अगर अवाप्त की जा रही अथवा की गयी भूमि की खातेदारी एवं हिस्से को लेकर विवाद हो तो ऐसे वाद की सुनवाई राजस्व न्यायालय द्वारा ही की जावेगी। हस्तगत प्रकरण में राजस्व वाद वास्ते अधिकार घोषणा व विभाजन दिनांक 28—09—2006 को प्रस्तुत हो चुका था, और दावा विचाराधीन था। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह मत, हमारे मत अनुसार, विधि की सही व्याख्या पर आधारित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि मे से कुछ भूमि दौराने वाद राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लेने से वाद का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय के पास नहीं रहा। विचाराधीन वाद के लिये संदर्भ तारीख वह है जिस दिन वाद प्रस्तुत किया गया था और उसी दिनांक के संदर्भ में ही राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखा जावेगा और इस दृष्टि से हस्तगत प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है।

10— विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी की तरफ से प्रस्तुत 2000 RBJ 48, 134, 137, 221, 273, 314, 340, 376 & 497 के न्यायिक दृष्टान्त इस बिन्दु पर है कि जब दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष

अंकित किये गये हों तो द्वितीय अपील में उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी है और वर्तमान में हम प्रकरण की तथ्यात्मक गुणवत्ता पर विचार नहीं कर रहे हैं, अतः विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त वर्तमान स्तर पर प्रासंगिक नहीं है। वर्तमान में केवल न्यायालय के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विधिक प्रश्न ही विचारणीय है, जिस पर हम अपना मत पूर्व में ही व्यक्त कर चुके हैं।

11— विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थनापत्र में एक आपत्ति यह प्रस्तुत की गयी है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दो वाद विचाराधीन थे। अन्य वाद संख्या 144/08 को इस वाद के साथ संयोजित किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा संयोजित वाद संख्या 144/08 को भी निर्णीत किया था किन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, अतः केवल एक वाद में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह सही है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दो वाद विचाराधीन थे। एक वाद संख्या 214/06 उनवानी किशनाराम बनाम खुमाणा आदि और दूसरा वाद संख्या 144/08 उनवानी खुमाणाराम बनाम भोपाराम आदि। वाद संख्या 144/08 को वाद संख्या 214/06 के साथ विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27—07—2010 द्वारा हमफीता /संयोजित किया गया था, क्योंकि दोनों ही दावों में पक्षकारान व विवादित भूमि समान है। इस प्रकार संयोजन (consolidation) के बाद दोनों वाद एक हो गये और तत्पश्चात उक्त दोनों दावों को एक मान कर ही निर्णीत किया गया है। अर्थात वाद संख्या 144/08 वाद संख्या 214/06 में समाहित (merge) हो चुका है और वाद संख्या 144/08 का अलग से औपचारिक रुप से निर्णय नहीं किया गया है अपितु वाद संख्या 214/06 के निर्णय में वाद संख्या 144/08 का निर्णय समाहित है। इसके लिये अलग से निर्णय पारित करना व ऐसे निर्णय के विरुद्ध दो अलग अलग अपीलें प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। हमारा यह मत विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त ILR 1961 1173 पर आधारित है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है किः—

> *"In the code of Civil Procedure, there is no specific provsion for consolidation of proceedings, but it may be taken to be a settled principle of law that courts are competent to consolidate proceedings in the exercise of their inherent powers.*
>
> *Consolidation and stay have a common purpose to fulfil and are, therefore akin to each other in many respects. There are, however, some points of distiction. In the case of stay, the two proceedings remain separate from start to finish, while in the case of consolidation, once the Court has ordered consolidation,*

there is amalgamation of two suits in one suit and they are to be decided as if there were one suit.

Where two suits are disposed of by one common judgment and when there is a complete consolidation in the sense that both suits become one there is no necessity of preparation of separate decrees in the suits and only one decree should be prepared,

12— उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल क्षेत्राधिकर के बिन्दु पर ही अपील संख्या 48/2010 को खारिज कर देना उचित नहीं है। जो अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी, उसे सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी को है। अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिये था। अतः हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

13— परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील को आंशिक रुप से स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी (बाडमेर—जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर द्वारा अपील संख्या 48/2010 में पारित निर्णय दिनांक 12—05—2011 को एतदद्वारा अपास्त किया जाता है और प्रकरण, इस न्यायालय द्वारा व्यक्त अभिमत (observations) अनुसार गुणावगुण पर नवीनतः निर्णय पारित करने हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य

(मदनमोहन शर्मा)
सदस्य